अति महत्वपूर्ण/शीघ्र
संख्या–1795/नौ–9–2021–91ज/21

प्रेषक,

डॉ0 रजनीश दुबे,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. मण्डलायुक्त,
लखनऊ/कानपुर/आगरा/वाराणसी/
प्रयागराज/अलीगढ़/सहारनपुर/
मुरादाबाद/बरेली/झांसी/
गोरखपुर/अयोध्या/मेरठ।

2. नगर आयुक्त, नगर निगम,
लखनऊ/कानपुर/आगरा/वाराणसी/झांसी/
प्रयागराज/अलीगढ़/सहारनपुर/मुरादाबाद/
बरेली/गोरखपुर/अयोध्या/शाहजहांपुर/मेरठ/
मथुरा–वृन्दावन/गाजियाबाद/फिरोजाबाद।

नगर विकास अनुभाग–9 लखनऊः दिनांकः 10 सितम्बर, 2021

विषय– प्रदेश के नगर निगमों/स्मार्ट सिटीज़ के मुख्य सार्वजनिक स्थानों पर मुफ्त 'वाई–फाई (Wi-Fi)' की सुविधा उपलब्ध कराये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या–एम0एस0–07/नौ–9–2021–05ज/20, दिनांक 13.07.2021 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से स्मार्ट सिटी योजनान्तर्गत प्रदेश के शहरों में मुख्य सार्वजनिक स्थानों (जैसे बस स्टैण्ड, रेलवे स्टेशन के समीप स्थलों, तहसील/कचेहरी/ब्लाक/रजिस्ट्रार कार्यालयों, मुख्य बाजारों इत्यादि) मे से कम से कम 02 मुख्य स्थलों का चयन कर आवश्यक उपकरण स्थापित कराते हुए मुफ्त 'वाई–फाई (Wi-Fi)' की सुविधा उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

2. उल्लेखनीय है कि प्रदेश सरकार आमजन तक तीव्र व सुलभ सूचना एवं संचार की पहुंच विकसित करने के उद्देश्य से शहरी विकास की योजनाओं के अन्तर्गत प्रदेश के नगरीय निकायों के मुख्य सार्वजनिक स्थानों (जैसे बस स्टैण्ड, रेलवे स्टेशन के समीप स्थलों, तहसील/कचेहरी/ब्लाक/रजिस्ट्रार कार्यालयों/मुख्य बाजारों/अस्पतालों इत्यादि) पर मुफ्त 'वाई–फाई (Wi-Fi)' की सुविधा उपलब्ध कराये जाने के लिए कृत संकल्प है। प्रदेश सरकार के "मिशन युवा" के अन्तर्गत मुफ्त 'वाई–फाई (Wi-Fi)' की सुविधा उपलब्ध कराना एक महत्वपूर्ण घटक है।

3. तद्क्रम में शासन द्वारा नगर निगमों/स्मार्ट सिटीज़ के मुख्य सार्वजनिक स्थानों (जैसे बस स्टैण्ड, रेलवे स्टेशन के समीप स्थलों/तहसील/कचेहरी/ब्लाक/रजिस्ट्रार कार्यालयों/मुख्य बाजारों/अस्पतालों/पर्यटक स्थलों इत्यादि) में मिलियन प्लस शहरों में कम से कम 10 मुख्य सार्वजनिक स्थानों एवं नॉन मिलियन प्लस शहरों में कम से कम 05 मुख्य सार्वजनिक स्थानों का चयन कर आवश्यक उपकरण स्थापित कराते हुए मुफ्त 'वाई–फाई (Wi-Fi)' की सुविधा उपलब्ध कराये जाने का निर्णय लिया गया है।

4. अतः इस संबंध में पूर्व निर्गत शासनादेश संख्या–एम0एस0–07/नौ–9–2021–05ज/20, दिनांक 13.07.2021 को इस सीमा तक संशोधित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उक्त कार्यवाही शीघ्रतापूर्वक सुनिश्चित कराते हुए प्रगति आख्या शासन/मिशन निदेशक, स्मार्ट सिटी, उ0प्र0 लखनऊ को **10 दिन में** उपलब्ध कराने का कष्ट करें। यदि स्मार्ट सिटी योजनान्तर्गत मुफ्त 'वाई–फाई (Wi-Fi)' सुविधा उपलब्ध कराया जाना सम्भव न हो, तो निकाय के स्वयं के स्रोतों/निकाय निधि से उक्त सुविधा जन सामान्य को उपलब्ध करायी जाये।

उक्त 'वाई–फाई (Wi-Fi)' की सुविधा की स्थापना हेतु समस्त आवश्यक कार्यवाही माह सितम्बर, 2021 के अन्तिम सप्ताह तक निश्चित रूप से पूर्ण कर ली जाए। माह अक्टूबर, 2021 के प्रथम सप्ताह में उक्त सुविधा का लोकार्पण कराया जाएगा। तदनुसार उपकरणों की स्थापना एवं समस्त आवश्यक तैयारियां समयबद्ध ढंग से सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(डॉ0 रजनीश दुबे)
अपर मुख्य सचिव।

A.K.@Smart-go-20

<u>संख्या एवं दिनांक तदैव।</u>

<u>प्रतिलिपि</u>– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. **निदेशक,** नगरीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
2. **मिशन निदेशक,** स्मार्ट सिटी, उ0प्र0 लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि उपर्युक्त नगरीय निकायों में किन–किन स्थानों पर उपकरण स्थापित कर मुफ्त वाई–फाई की सुविधा उपलब्ध करायी गयी है तथा इस हेतु कितनी धनराशि का व्यय किया गया है, की निकायवार संकलित सूचना शासन को **एक सप्ताह में** उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

/

(अमित कुमार सिंह)
विशेष सचिव।

A.K.@ Smart -go-20